



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180286

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30227 वर्ष 2026

इशाक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आबिदा खातून, मो. नौशाद अहमद खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद नौशाद अहमद खान की ओर से संक्षिप्त धारक विद्वान अधिवक्ता श्री महाप्रसाद तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 353 सन् 2026, धारा 103(1), 238, 61(2) बी.एन.एस., थाना बड़ौत, जनपद बागपत में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का ससुर है और यद्यपि आरोप के अनुसार आवेदक ने मृतका के पति सहित अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी पुत्रवधू की हत्या की, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाया गया संपूर्ण आरोप पूर्णतः झूठा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह स्वीकार किया गया है कि मामले का सूचनादाता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी ने तीन साक्षियों, अर्थात् वकीला, अनिल एवं प्रमोद के बयान दर्ज किए और उनके बयान वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं तथा उनके बयानों से यह परिलक्षित होता है कि मृतका अपने पति के साथ ईंट-भट्ठे पर काम कर रही थी और काम के दौरान उसके पति अर्थात् सह-अभियुक्त आस मोहम्मद ने फावड़े के पिछले हिस्से से उसे मारा था तथा इन साक्षियों ने यह नहीं कहा कि आवेदक भी घटनास्थल पर उपस्थित था।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचा था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि मृतका का पति अर्थात् सह-अभियुक्त आस मोहम्मद मुख्य अभियुक्त था, जिसने उसे चोटें पहुंचाई थीं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह परिलक्षित होता है कि चूंकि आवेदक मृतका का ससुर था, इसलिए उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 04.07.2026 से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. यद्यपि आवेदक मृतका का ससुर है और मृतका की शव-परीक्षण रिपोर्ट से परिलक्षित होता है कि उसे कई चोटें आई थीं तथा वह केवल दिनांक 04.07.2026 से जेल में है, किंतु कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों से यह परिलक्षित होता है कि मृतका के पति अर्थात् सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त आस मोहम्मद ने मृतका को चोटें पहुंचाई थीं और उनके बयानों से यह परिलक्षित नहीं होता है कि आवेदक घटनास्थल पर उपस्थित भी था।

10. मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता कि चूंकि आवेदक मुख्य अभियुक्त अर्थात् मृतका के पति का पिता है, इसलिए उसे भी उसके साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

11. आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

12. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक - **इशाक** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

31 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।